

## FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** Rohtak **PS:** SVB (H) ROHTAK **Year:** 2015 **FIR No:** 73 **Date:** 17-12-15

2. **Act(s):** P.C. ACT **Section(s)**  
(i) I.P.C. 420, 467, 468, 471, 120 B IPC  
(ii)  
(iii)  
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** वीरवार **Date From:** 17-12-15 **Date To:**  
**Time Period:** **Time From:** **Time To:** 11:30 A.M.  
(b) **Information received at P.S: Date :** **Time:** 11:30 A.M.  
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 4 **Time:** 11:30 A.M.

4. **Type of Information:** WRITTEN नि० अजायब सिंह SVB RTK

5. **Place of Occurrence:** (a) **Direction and Distance from P.S.:** **Beat No.:**

(b) **Address:**

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

**Name of P.S:** **District:** Rohtak

6. **Complainant/Informant:**

a. **Name :** नि० जयभगवान  
b. **Birth year:** **Nationality:** INDIAN  
c. **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**  
d. **Occupation:**  
e. **Address:** रा०चौ०ब्यूरो (ह०) रोहतक।

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

1 श्री रविन्द्र कुमार गन्ना विकास अधिकारी गोहाना जिला सोनीपत (2) श्री वरुण कुमार (ADO) गोहाना, जिला सोनीपत (3) विशाल पुत्र बलवान सिंह वासी रिवाडा (4) आशीष पुत्र बलवान सिंह वासी रिवाडा (5) बलवान पुत्र सुरत सिंह वासी रिवाडा, (6) अरुण पुत्र केवल कृष्ण, वासी मुगलपुरा गोहाना (7) चित्रा पत्नी

अरुण वासी मुगलपुरा गोहाना (8) कौशल्या पत्नी केवल कृष्ण वासी मुगलपुरा गोहाना (9) केवल कृष्ण पुत्र श्री भाना राम वासी मुगलपुरा गोहाना (10) अनुज कुमार पुत्र भाना राम वासी मुगलपुरा गोहाना (11) रवि पुत्र धर्मबीर सिंह वासी गुढा, गोहाना (12) धर्मबीर सिंह पुत्र सरूप सिंह वासी गुढा, गोहाना (13) सन्दीप पुत्र रामनिवास वासी मुडलाना (14) दिलबाग सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जाट गांव न्यात जिला सोनीपत।

8- **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

कोई देरी नहीं

9 **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10- **Total value of property stolen:**

11 **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12 **F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

सेवा में, श्री मान जी, तहरीर निम्न प्रकार से है कि जांच क्रमांक 1 दिनांक 09.03.15 सोनीपत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के आदेश क्र० 66/90/14-3 चौ० (II) दिनांक 9.01.15 द्वारा दर्ज की जाकर महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो (ह०) पंचकला के पृष्ठ क्रमांक 958/आई-1/SVB (H) Dated 16.01.2015 अनुसार पडताल हेतु इस कार्यालय के डायरी क्र० 182 दिनांक 19.01.15 अनुसार प्राप्त हुई थी। जो आसुचना रिपोर्ट के आधार पर जांच की जानी थी। जांच पुलिस अधीक्षक, रा०चौ०ब्यूरो, रोहतक की देख-रेख में जयभगवान निरीक्षक, रा०चौ०ब्यूरो रोहतक द्वारा की गई थी। जिसमें आरोप था कि वर्ष 2011-12 में गोहाना तहसील के अन्दर आने वाले गांवों में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) व राज्य सरकार की TMC योजना के तहत मिश्रित (अन्य फसलों के साथ) 15 जनवरी से पहले गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड 1,000 रुपये सबसिडी दी जानी थी। गोहाना ब्लाक में 2,845 किसानों के आवेदन प्राप्त होने पर कुल 1 करोड 17 लाख रुपये का अनुदान बैंको के माध्यम से दिया गया था। श्री रविन्द्र सिंह गन्ना विकास अधिकारी, गोहाना जिला सोनीपत व श्री वरुण कुमार ए.डी. ओ. गोहाना जिला सोनीपत ने किसानों से मिली भगत करके सरकार की हिदायतों की अनदेखी करते हुए सरकार को कुल 1,19,500 रुपये की वित्तिय हानी झूठी सबसीडी देकर पहुंचाई है। जो हलका पटवारियों के रिकार्ड अनुसार खेतों में गन्ने की फसल बोनी नहीं पाई गई। जिसमें संदीप पुत्र श्री रामनिवास वासी गांव मुण्डलाना को गोहाना शहर का वासी दिखा कर उसको 12,500 रुपये की सबसिडी दे दी इसी प्रकार अनुज कुमार व रवि पुत्रान धर्मबीर सिंह, धर्मबीर सिंह पुत्र सरूप सिंह वासी वासी गांव गुढा के एक ही परिवार के तीन सदस्यों को 21,000 रुपये सबसिडी दे दी गई, जबकि सरकार की हिदायतों अनुसार परिवार के एक सदस्य को ही सबसीडी दी जा सकती है। इसका खेत कथूरा ब्लॉक में पडता है, जो गोहाना ब्लॉक में दिखा कर सबसीडी दी गई है इसी प्रकार दिलबाग पुत्र नारायण सिंह वासी गांव न्यात को 3,250 रुपये की सबसिडी दी गई है। जबकि सबसिडी फार्म पर उसके हस्ताक्षर ही नहीं है। श्री वरुण कुमार ADO कृषि (गन्ना) विकास अधिकारी, कार्यालय गोहाना ने अपने पिता श्री केवल कृष्ण, अपने भाई अरुण कुमार, अपनी भाभी चित्रा व अपनी माता श्रीमति कौशलया को कुल 23,250 रुपये की सबसिडी दी गई। इसी प्रकार आशीष पुत्र श्री बलवान सिंह व विशाल पुत्र बलवान सिंह व बलवान सिंह पुत्र सुरत सिंह वासी रिवाड़ा ब्लॉक गोहाना जिला सोनीपत को दो बार एक ही परिवार के तीन सदस्यों को 35,500 रुपये की सबसिडी

दी गई। वरुण कुमार सहायक विकास अधिकारी (ADO) गोहाना ने रविन्द्र कुमार सहायक गन्ना विकास अधिकारी (ACDO) से मिलीभगत करके अपने परिवार के 4 सदस्यों के नाम गलत तरीके से अनुदान दिया गया है। जो सबसिडी वरुण कुमार ADO कृषि विकास अधिकारी गोहाना की रिपोर्ट पर दी गई थी, जिसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में झूठी जानकारीयां दर्शाई गई है व रविन्द्र कुमार ACDO ने भी बिना तसदीक किए ही वरुण कुमार की रिपोर्ट 1,19,500 रुपये झूठी सबसिडी देकर सरकार के 1,19,500 रुपये की वित्तिय हानि पहुंचाई है। हल्का पटवारियों की रिपोर्ट रिकार्ड वर्ष 2011-12 अनुसार उपरोक्त किसानों के खेतों में गन्ना की फसल बोनी नहीं पाई गई। जांच में आरोप सत्य पाये जाने पर वरुण कुमार सहायक विकास अधिकारी (ADO) गोहाना ने रविन्द्र कुमार सहायक गन्ना विकास अधिकारी से मिली भगत करके अपने पिता श्री केवल कृष्ण को 6,500 रुपये ,माता कौशल्या के नाम 9,500 रुपये, अरुण कुमार को 3500 रुपये, भाभी चित्रा को 3,750 रुपये, जो कुल 23,250 रुपये गलत अनुदान दिया है। संदीप पुत्र रामनिवास को 12,500 रुपये, अनुज कुमार , रवि कुमार पुत्रान श्री धर्मबीर व धर्मबीर पुत्र सरूप सिंह को 21,000 रुपये , दिलबाग सिंह पुत्र नारायण सिंह को 3250 रुपये, आशीष व विशाल पुत्रान बलवान सिंह व बलवान सिंह पुत्र सुरत सिंह को 59,500 रुपये जो उपरोक्त सभी अनुदान प्राप्त कर्ताओ से मिली भगत करके कुल सभी को 1,19,500 रुपये झूठी सबसिडी देकर सरकार को वित्तिय हानि पहुंचाकर अपराध जेरधारा 420, 467, 468, 471,120 बी भा0द0स0 का किया है तथा उपरोक्त श्री रविन्द्र कुमार ACDO गोहाना ,वरुण कुमार (ADO) कृषि विकास अधिकारी गोहाना, विशाल व आशीष पुत्रान बलवान सिंह वासी रिवाडा, बलवान पुत्र सुरत सिंह वासी वासी रिवाडा, अरुण पुत्र केवल कृष्ण, चित्रा पत्नी अरुण, कौशलया पत्नी केवल कृष्ण, केवल कृष्ण पुत्र श्री भाना राम कौम पंजाबी वासीयान मुगलपुरा गोहाना, अनुज कुमार व रवि पुत्रान धर्मबीर सिंह ,धर्मबीर सिंह पुत्र सरूप सिंह वासी गुढा, गोहाना, सन्दीप पुत्र रामनिवास वासी मुडलाना व दिलबाग सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जाट गांव न्यात तहसील गोहाना जिला सोनीपत के विरुद्ध मुकदमा जेरधारा 420, 467, 468, 471,120 बी भा0द0स0 के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया था।जो जांच पूर्ण करके महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी, जिन्होंने अपने आदेश क्रमांक 66/90/14-3-चौकसी (II) दिनांक 23.11.15 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) पंचकुला के आदेश क्र0 16983/आई-1/रा0चौ0ब्यूरो (ह0) दिनांक 24.11.15 द्वारा उपरोक्त आरोपीयान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज धाराधीन 420, 467, 468, 471, 120 बी भा0द0स0 के आदेश दिये गये, जो आदेश प्राप्त होने पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज उपरोक्त आरोपीयान के खिलाफ दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया टेलीफोन व Mail द्वारा सुचित किया जाये तथा माननीय न्यायालय को भी सुचना भिजवाई जावे। मुकदमा हजा में दौराने तफतीश अगर किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी शामिल तफतीश किया जाये। आगामी तफतीश हेतू अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवाकर नकल मिशल पुलिस व असल तहरीर मय समस्त जांच रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जावे। हस्ता हिन्दी जयभगवान नि0 निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक दि0 1/12/15 अज थाना:- हस्ब आमदा तहरीर पर मु0 बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके FIR की प्रतियां तैयार की गई। अफसरान बाला को बजरिया स्पैशल मैसन्जर/ Mail द्वारा सुचित किया गया। स्पैशल रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय में भिजवाई जाएगी व मु0 हजा की नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर व जांच का सम्पूर्ण रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक अजायब के हवाले किया गया।

13 Action Taken (Since the above information reveals commission of offence (s) u/s as

mentioned at item No.2:

**(i) Registered the case and took up the investigation**

**OR**

**(ii) Directed(Name of the I.O.):**

No.:

Rank:  
to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):  
On point of jurisdiction:

District:

**F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:**

**R.O.A.C.:**

14. **Signature/Thumb Impression**  
Of The Complainant/Informant:

**Signature of Officer**  
Name – AJAIB SINGH  
Rank: Insp No. H/10

**Date and Time of despatch to the court:**

15

Despatched Vide DD No - 4

Date 17-12-15 Time At 11:30 A.M.